न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

(1) प्रकरण संख्या– अपीलडि/टीए/5221/2004/हनुमानगढ

1. मु0 चावली पुत्री तखूराम जाति जाट निवासी भावलदेसर जरिये मुख्त्यारआम इन्द्राज पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी ग्राम भावलदेसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

–अपीलार्थी

बनाम

1. गणपतराम पुत्र रामजीलाल मृतक जरिये वारिसान–
1/1. रूकमा देवी पुत्री गणपतराम
1/2. सुल्तान पुत्र गणपतराम
1/3. परमेश्वरी पुत्री गणपतराम
1/4. ज्यानादेवी पुत्री गणपतराम
1/5. लिछमा देवी पुत्री गणपतराम
1/6. श्योनारायण पुत्र गणपतराम
1/7. रामलाल पुत्र गणपतराम
1/8. शान्ति देवी पुत्री गणपतराम
समस्त जाति जाट निवासी हाकमाबाद तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
2. भंवरलाल पुत्र भागीरथ जाति चमार निवासी भावलदेसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
3. हंसराज पुत्र राधाकिशन स्वामी निवासी भावलदेसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
4. मनसुख पुत्र रामजीलाल मृतक जरिये वारिसान–
4/1. भगवानी देवी पुत्री मनसुखराम
4/2. भंवरलाल पुत्र मनसुखराम
4/3. दुलाराम पुत्र मनसुखराम
5. बाधो पुत्री रामजीलाल
समस्त जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
6. रामकौरी पुत्री रामजीलाल मृतक जरिये वारिसान–
6/1. सुलतान पुत्र रामकोरी
6/2. सरस्वती पुत्री रामकोरी
6/3. मोहरी पुत्री रामकोरी
समस्त जाति जाट निवासी न्योलखी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नोहर जिला हनुमानगढ

–प्रत्यर्थीगण

(2) प्रकरण संख्या– अपीलडि/टीए/5222/2004/हनुमानगढ

1. भवरलाल पुत्र मनीराम जाति चमार निवासी भावलदेसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

–अपीलार्थी

बनाम

1. गणपतराम पुत्र रामजीलाल मृतक जरिये वारिसान–
1/1. रुकमा देवी पुत्री गणपतराम
1/2. सुल्तान पुत्र गणपतराम
1/3. परमेश्वरी पुत्री गणपतराम
1/4. ज्यानादेवी पुत्री गणपतराम
1/5. लिछ्मा देवी पुत्री गणपतराम
1/6. श्योनारायण पुत्र गणपतराम
1/7. रामलाल पुत्र गणपतराम
1/8. शान्ति देवी पुत्री गणपतराम
समस्त जाति जाट निवासी हाकमाबाद तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
2. हंसराज पुत्र राधाकिशन स्वामी निवासी भावलदेसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
3. मनसुख पुत्र रामजीलाल मृतक जरिये वारिसान–
3/1. भगवानी देवी पुत्री मनसुखराम
3/2. भंवरलाल पुत्र मनसुखराम
3/3. दुलाराम पुत्र मनसुखराम
4. बाधो पुत्री रामजीलाल
समस्त जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
5. रामकौरी पुत्री रामजीलाल मृतक जरिये वारिसान–
5/1. सुलतान पुत्र रामकोरी
5/2. सरस्वती पुत्री रामकोरी
5/3. मोहरी पुत्री रामकोरी
समस्त जाति जाट निवासी न्योलखी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नोहर जिला हनुमानगढ

–प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थित

श्री दुलीचन्द ढिढारिया, अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री शशिकान्त जोशी, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांक 14.10.2019

अपीलार्थी द्वारा यह दोनों अपीले राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15-10-2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. दोनों प्रकरणों के तथ्य विवाद बिन्दू एवं विवादित आराजी के समान होने एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित एक ही निर्णय के विरूद्ध दोनों अपीलें प्रस्तुत होने से इनका निस्तारण उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की सहमति से एक साथ किया जा रहा है। निर्णय प्रति प्रत्येक पत्रावली में रखी जावे।

3. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी गणपतराम ने प्रतिवादी राजस्थान सरकार, भंवरलाल, हंसराज, अनसुख, बादो व रामकोरी के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम भावलदेसर स्थित विवादित आराजी खसरा नम्बर 550/54 रकबा 09बीघा 01बिस्वा एवं 410 रकबा 10बीघा 03बिस्वा भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या-4 को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित करने एवं प्रतिवादी संख्या-2 व 3 के नाम हुए आवंटन दिनांक 25-10-1985 को निरस्त करते हुए प्रतिवादीगण संख्या-1 से 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया। प्रतिवादी संख्या-1 व 2 द्वारा जवाबदावा पेश कर वादपत्र में

अंकित कथनों को अस्वीकार करते हुए वाद को खारिज किये जाने की प्रार्थना की। प्रतिवादी संख्या–3 व 4 की ओर से इकबाली जवाबदावा पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या–5 व 6 के बावजूद नोटिस तामिल उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित छः विवाद्यक विरचित कर उभयपक्ष पक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध की। तत्पश्चात् उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय दिनांक 29–01–2003 से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को साबित नहीं होने से खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध वादी गणपतराम की ओर से अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 15–10–2004 से स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29–01–2003 को निरस्त करते हुए वादी गणपतराम व प्रतिवादी प्रत्यर्थीगण संख्या 4 से 6 को विवादित आराजी का खातेदार घोषित कर दिया तथा प्रतिवादी संख्या–2 व 3 के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 25–10–1985 को निरस्त करते हुए स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण संख्या–1 से 3 को पाबन्द कर दिया। इसी निर्णय से व्यथित होकर यह दोनों अपीलें अपीलार्थी मु0 चावली एवं भंवरलाल की ओर से मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की।

4. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

5. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में अपील संख्या–5221/2004 एवं लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एव रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 410 की 10बीघा 03बिस्वा

भूमि में से 03बीघा 10बिस्वा भूमि की खातेदारी राजस्व मण्डल द्वारा अपील संख्या 52/1998 में पारित निर्णय दिनांक 17-07-2002 से प्रदान की गयी थी तथा पारित निर्णय एवं डिक्री की पालना में उक्त विादित आराजी अपीलार्थी के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हो चुकी है, जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उसके पक्षकार को पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन निर्णय विवादित आराजी बाबत् पारित कर दिया, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। इसी प्रकार योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील संख्या 5222/2004 के अपील मीमों एवं लिखित बहस में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी गणपतराम द्वारा मूल वाद घोषणा का पेश किया जिसमें विवादित आराजी उनके बाबा की खातेदारी में थी, जिसका कोई प्रमाण वादी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था, विचारण न्यायालय द्वारा इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होने के आधार पर खारिज किया गया था, जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा मनमाने तौर पर प्लीडिग्स से बाहर जाकर निरस्त करने में तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि कारित की है तथा प्रतिकूल धारण के आधार पर विवादित आराजी के खातेदारी अधिकार प्रदान करने में विधिक भूल की है। उनका कथन है कि अपीलार्थी विवादित आराजी पर आवंटन उपरान्त निरन्तर काबिज काश्त है तथा वादी का विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। उनका कथन है कि विवादित आराजी का समर्पण अथवा हक त्याग किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में नहीं किया जा सकता, केवल राज्य सरकार के ही पक्ष में आराजी का समावेश किया जा सकता है। अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत दोनों अपीलों को स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को बहाल रखा जावे। योग्य अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2008 आरआरटी पेज 850 पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया।

6. इसके विपरीत अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि शुरू से अर्थात सम्वत् 2012 से उनके पक्षकार के पूर्वजों के कब्जे काश्त में चली आ रही है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा भू–प्रबन्ध कार्य के दौरान गलत रूप से सिवाय चक दर्ज कर दी गयी। भू–प्रबन्ध विभाग को भू–प्रबन्ध कार्य के दौरान मौजूदा प्रविष्टियों को बदलने का कोई अधिकार नहीं है। उनका कथन है कि विवादित भूमि साबिक खसरा नम्बर 135 मिन की 21.08बीघा व इस खसरे के साथ चिपते खसरा नम्बर 180 मिन रकबा 3.10 बीघा व 182 रकबा 0.16बीघा रकबे का एकल खेत तादादी 25.14बीघा मृतक भींयाराम के कब्जे काश्त में था परन्तु भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा मौके की जांच किये बिना ही अधिकाशतः रकबा खसरा नम्बर 135 मिन का होने के कारण भूल से खसरा नम्बर 135मिन में ही फिट कर दिया गया। इस रकबे के नये खसरा नम्बर 390, 534/390, 535/388 एवं 410 कुल रकबा 25.14बीघा कायम किये। उनका कथन है कि भीयांराम वादी का संगा ताऊ था, के कब्जे काश्म में साबिक खसरा नम्बर 161 में 102.17बीघा भूमि धारा में थी, जो सम्वत् 2012 उसके कब्जे काश्त में थी, जिसके हाल खसरा नम्बर 54 रकबा 93.16 एवं 50/54 रकबा 9.01 कायम किये गये। उनका कथन है कि सम्वत् 2029 से 38 में भू–प्रबन्ध की कार्यवाही होने से पूर्व से उपरोक्त भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या–4 निरन्तर काबिज काश्त में चली आ रही है, जिसे भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा 25.14बीघा के हाल खसरा नम्बर 390 रकबा 6.13बीघा, 534 रकबा 0.14बीघा एवं 535/388 रकबा 08.04बीघा तो वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के नाम दर्ज कर दी तथा खसरा नम्बर 410 रकबा 10.03बीघा भूमि को आराजी राज दर्ज कर दी। इसी प्रकार 102.17बीघा के खेत को जिसके परिवर्तित खसरा नम्बर 54 रकबा 93.14बीघा वादी व प्रतिवादी संख्या–4 ता 6 के नाम बतौर खातेदार दर्ज कर दी परन्तु खसरा नम्बर 50/54 रकबा 09.06बीघा भूमि को आराजी

राज दर्ज कर दिया, जिसे गलत रूप से प्रतिवादी संख्या– 2 व 3 को आवंटित कर दिया। उनका कथन है कि विवादित आराजी बरवक्त आवंटन रिक्त भूमि नहीं होकर उनके पक्षकार काबिज काश्त होने से आवंटन योग्य नहीं थी। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं होने से पारित निर्णय में द्वितीय अपील के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलों को खारिज किया जावे।

78 हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा की गयी बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी गणपत ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–पी–1 से प्रदर्श–पी–7 एवं मौखिक साक्ष्य से यह भलीभांति प्रमाणित नहीं होता है कि ग्राम मावलदेवर स्थित आराजी खसरा नम्बर 550/54 रकबा 09बीघा 01बिस्वा एवं खसरा नम्बर 410 रकबा 10.03बीघा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या–4 के पूर्वज की खातेदारी के साबिक खसरा नम्बरान से उक्त हाल नम्बर कायम किये जाने प्रमाणित नहीं होता है। विचारण न्यायालय द्वारा इन्हीं दस्तावेजी साक्ष्य के मद्देनजर तनकी संख्या–1 के निर्णय में विवादित आराजी को वादी व प्रतिवादी संख्या–4 के खेतों से परिवर्तित होना साबित नहीं मानते हुए एवं उक्त भूमि को सिवायक चक आराजी राज भूमि होना मानकर एवं उस पर वादी व प्रतिवादी संख्या–4 का कब्जा काश्त अवैध होना मानते हुए उक्त तनकी को वादी के विरूद्ध निर्णीत किया गया है। इसी प्रकार तनकी संख्या–2 के निर्णय में विवादित आराजी को आराजी राज

सिवायचक भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज होने से भंवरलाल व हसंराज को किये गये आवंटन को शून्य घोषित नहीं करते हुए उक्त तनकी संख्या–2 को भी वादी के विरूद्ध निर्णीत किया गया है। इसी प्रकार तनकी संख्या–3 के निर्णय में वादी को विवादित आराजी पर अतिक्रमी के रूप में काबिज काश्त होना मानकर विवादित आराजी के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होना मानते हुए उक्त तनकी संख्या–3 को वादी के विरूद्ध एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णीत किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने तनकीवार पारित निर्णय में वादी गणपत की ओर से प्रस्तुत वाद को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से साबित नहीं होने के आधार पर खारिज किया। इसके विपरीत अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से वादी अपीलार्थी गणपत व प्रत्यर्थी संख्या– 4 से 6 को विवादित आराजी पर प्रतिकूल धारण के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा की डिक्री जारी गयी है, जबकि वादी ने अपने वादपत्र में विवादित आराजी को अपने पूर्वजों की खातेदारी की आराजी होना एवं भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा राजकीय खाते में गलत दर्ज करने को आधार मानते हुए घोषणा का वाद प्रस्तुत किया, जिसमें अपीलीय न्यायालय ने एडवर्स पजेशन के आधार पर विवादित आराजी के खातेदारी अधिकारों का अनुतोष प्रदान किया, जो वादी द्वारा अपने मूलवादपत्र में चाहा ही नहीं गया था। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को विधिसम्मत् होना नहीं माना जा सकता है।

माननीय राजस्व मण्डल की पूर्ण पीठ ने आर आर टी 2011(2) पेज 721 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि :–

Rajasthan Tenancy Act 1955- Sec. 232- Limitation Act, 1963- Article 64&65- Reference- Khatedari rights whether can be conferred on the basis of the adverse possession- provisions of Limitation Act have limited applicability to matters relating to Tenancy Act- No provision to confer tenancy rights on the basis of the adverse possession& Courts can not conferred the tenancy rights- Bor has no legislative power to lay down a new law- Held, No tenancy rights can be conferred on the basis of adverse possession.

9. मण्डल की बृदह पीठ ने उक्त न्यायिक दृष्टान्त में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। माननीय राजस्व मण्डल की पूर्ण पीठ ने आर आर टी 2011(2) पेज 721 में आर.आर.डी. 1991 पेज 1 के सम्बन्ध में इस प्रकार से मंतव्य व्यक्त किया हैः–

In the view of this bench the Larger Bench in its judgment 'Bagga vs. Surendra singh' as reported in 1991 RRD page 1 hasa not laid down a good law because the Rajasthan Tenancy Act does not have any provisiion to confer tenancy rights to the adverse possesor. This bench also infers that providing tenancy rights to the adverse possesor is a tetreating step with regard to the land reforms and such a conferment of tenancy rights is against the basic spirit of this special legislation.

10. माननीय राजस्व मण्डल की पूर्ण पीठ ने आर आर टी 2011(2) पेज 721 में अन्त में निम्न प्रकार से निष्कर्ष दिया है :–

In the of this bench the the judgment of Larger Bench in 'Bagga vs. Surendra singh' as reported in RRD 1991 page 1 being not a good law, deserves to be set aside.

11. उक्त से स्पष्ट है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी तथा RRD 1991 page 1 को मिस–रीड करते हुये, मौखिक साक्ष्य के आधार पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विपरीत जाते हुये पाारित किया है जो उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों के परिप्रेक्ष्य में बहाल रखे जाने योग्य नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में यह भी स्वीकृत स्थिति है कि वादी गणपत ने अपने पूर्वज भीया के खाते साबिक खसरा नम्बरान की कुल 289बीघा भूमि खातेदारी में दर्ज होना मूल वाद में अंकित किया है जबकि विचारण न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार द्वारा वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी के खाते वर्तमान में 293बीघा भूमि की खातेदारी दर्ज होना साबित कराया गया है। इसके अतिरिक्त भी विवादित आराजी खसरा नम्बर 410 रकबा 10बीघा 03बिस्वा भूमि में से 03बीघा 10बिस्वा भूमि की खातेदारी राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक

17-7-2002 से मु0चावली को प्रदान की गयी थी किन्तु अपीलीय न्यायालय द्वारा मु0 चावली को अपील में पक्षकार बनाये बिना विवादित सम्पूर्ण भूमि के खातेदारी अधिकार प्रतिकूल धारण के आधार पर प्रदान कर दिये। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

12. परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीले स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय एवंडिक्री दिनांक 15-10-2004 निरस्त किया जाता है तथा विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, नोहर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29-01-2003 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य

(सुनील कुमार शर्मा)
सदस्य